भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1115
08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

"आयुष्मान भव' अभियान

1115. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्रीमती हेमामालिनी:
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:
श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'आयुष्मान भव' अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव और शहर को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है और क्या सरकार का स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य परिचर्या कवरेज प्रदान करने का विचार है;
(ख) क्या सरकार ने पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत नामांकित पात्र लाभार्थियों को स्वयं अपना स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए 'आयुष्मान आपके द्वार 3.0' कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) अभियान की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य/गांव|जिला/नगर-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है और इस पर अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;
(घ) आज की तिथि तक ऐसे कार्यक्रमों में कितने चिकित्सकों/रोगियों ने भाग लिया तथा कितने लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक किन कमियों की पहचान की गई है;
(ङ) लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं; और
(च) गरीबों और पददलितों तक स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): आयुष्मान भव अभियान की शुरूआत 13 सितंबर, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। आयुष्मान भव अभियान में माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रत्येक गांव/कस्बे में चयनित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को पूरा करने की संकल्पना की गई है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इनकी पहुंच सुनिश्चित

हो और समाज में हर किसी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच सुगंम हो। 'आयुष्मान भव' में अभियान अनेक कार्याकलाप शामिल है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 'आयुष्मान - आपके द्वार 3.0' में व्यक्तिगत स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पूरा करना, आगे की प्रदायगी के लिए प्रिंट आयुष्मान कार्ड को वितरण के लिए फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को देना और इनका वितरण करना और एक राष्ट्रव्यापी आयुष्मान कार्ड प्रदायगी अभियान चलाना शामिल है। अभियान में स्वास्थ्य, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के साथ सहयोग शामिल है, जिसके लिए आशा कर्मियों, फ्रंट लाइन कार्मिकों (एफएलडब्ल्यू) और स्वयं सेवी समूहों का समर्थन अपेक्षित होता है।

प्रमुख कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ✓ राज्यवार लाभार्थी डेटाबेस तैयार करना
- ✓ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना
- ✓ लाभार्थियों के नाम प्रकाशित करना
- ✓ कार्ड बनाने के लिए एफएलडब्ल्यू और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को कार्य सौंपना, और
- ✓ बड़े पैमाने पर आईईसी अभियान का आयोजन करना।

एनएचए ने आयुष्मान भव अभियान के भाग के तौर पर 17 सितंबर 2023 को आयुष्मान आपके द्वार (एएडी) 3.0 शुरू किया है, जिसमें 'आयुष्मान ऐप' के माध्यम से लाभार्थियों के लिए स्व-सत्यापन सुविधा सक्षम की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एंड्रॉइड आधारित 'आयुष्मान ऐप' शुरू किया गया है, जिसे नवीनतम तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है और आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न तरीके अर्थात् फेस-ऑथ, ओटीपी, आईआरआईएस और फिंगरप्रिंट प्रदान किए गए हैं। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि आयुष्मान कार्ड बनाने में किसी भी मोबाइल डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) 17 सितंबर, 2023 से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (तत्कालीन एबी-एचडब्ल्यूसी) में आयोजित एबी-एचडब्ल्यूसी स्वास्थ्य मेले, स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता और सामुदायिक कार्यों के लिए मंच के रूप में काम करते हैं। इसके उद्देश्यों में शीघ्र निदान, जागरूकता सृजन, स्वास्थ्य आईडी जारी करने में हुए अंतराल को पूरा करना, जनसंख्या-आधारित जांच, नियमित टीकाकरण और पीएम-जेएवाई लाभार्थियों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। आयोजित स्वास्थ्य मेलों की कुल संख्या 9.96 लाख है, इन मेलों में कुल 705.69 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई, अरोग्यता/योग/ध्यान सत्र की संख्या 6.81 लाख हैं, मुफ़्त दवाएँ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 468.81 लाख है, निःशुल्क नैदानिक सेवाएँ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 372.61 लाख है और कुल 7 प्रकार की जाँचों की संख्या 1377.06 लाख है।

(iii) सतत परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग चिकित्सा, सर्जरी, ईएनटी, नेत्र और मनोरोग आदि जैसी विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में मेडिकल कॉलेजों द्वारा क्रमावर्ती तौर पर साप्ताहिक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन भी किया जाता है। 17 सितंबर से अब तक कुल 26793 सीएचसी स्वास्थ्य मेलों की सूचना मिली है, कुल पंजीकृत मरीज 110.64 लाख हैं, विशेष ओपीडी में परामर्श लेने वाले रोगियों की संख्या 34.59 लाख है, 26675 बड़ी सर्जरी और 94433 छोटी सर्जरी की गई हैं।

आयुष्मान भव अभियान के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए फ्रंट-लाइन कार्मिकों (एफएलडब्ल्यू) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, आयुष्मान मेलों के आयोजन के लिए शर्तमुक्त निधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/स्थानीय गैर सरकारी संगठनों/कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर फंड)/संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) फंड आदि के माध्यम से अतिरिक्त निधि जुटाते हैं।

आयुष्मान भव अभियान के तहत दिनांक 28.11.2023 की रिपोर्ट के अनुसार जारी किए गए आयुष्मान कार्ड (पीएमजेएवाई कार्ड) और एबीएचए आईडी कार्ड का विवरण **अनुलग्नक** में है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रूपांतरण करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) का प्रचालन करना, संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन को नियोजित करने संबंधी सहायता, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाईल मेडिकल यूनिट्स, आशाकर्मी, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित क्रियाकलाप, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, नि: शुल्क नैदानिक सेवा पहल और नि: शुल्क औषधि सेवा पहल शामिल हैं। इसके अलावा, मिशन परिवार विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), माहवारी स्वच्छता योजना, सुविधाकेंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने संबंधी कार्य (एसएएएनएस), छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात परिचर्या (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए), पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी पहलें की गई हैं।

अनुलग्नक

आयुष्मान भव अभियान के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्ड और एबीएचए कार्ड का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आयुष्मान कार्ड बनाए गए	एबीएचए आईडी बनाई गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	3352	5740
2	आंध्र प्रदेश	2008598	560016
3	अरुणाचल प्रदेश	21593	68014
4	असम	103400	126227
5	बिहार	272901	206388
6	चंडीगढ़	6099	17234
7	छत्तीसगढ	57645	43790
8	दिल्ली	0	214137
9	गोवा	22297	57666
10	गुजरात	1809370	4099525
11	हरियाणा	1075026	708019
12	हिमाचल प्रदेश	23238	2172385
13	जम्मू एवं कश्मीर	42793	1149192
14	झारखंड	242603	125661
15	कर्नाटक	847673	662106
16	केरल	226056	651869
17	लद्दाख	38020	12935
18	लक्षद्वीप	483	8611
19	मध्य प्रदेश	148903	584558
20	महाराष्ट्र	6645039	5069269
21	मणिपुर	2068	11837
22	मेघालय	23938	92599
23	मिजोरम	25969	49313
24	नगालैंड	28272	25859
25	ओडिशा	0	433099
26	पुदुचेरी	13276	56038
27	पंजाब	207775	1999674
28	राजस्थान	16096	888450
29	सिक्किम	2816	36249
30	तमिलनाडु	380680	761101
31	तेलंगाना	970030	3609511
32	डीडी और डीएनएच	457	7173
33	त्रिपुरा	24997	16181
34	उत्तर प्रदेश	14578010	554235
35	उत्तराखंड	154558	10314553
36	पश्चिम बंगाल	0	178063
	कुल	**3,00,24,031**	**3,55,77,277**

*****